



11/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अण्डा सं 2/1 से 2/5 की ओर से मूलवाद में वकालतनामा विनोद शर्मा ने पेश। पत्रावली वास्ते बटल प्राप्पत्र u/s 212 R.T. Act दिनांक 09/01/26 को पेश हो।



11/11/25

01/9/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बटल प्राप्पत्र दिनांक 13/02/26 को पेश हो।


09/01/26

दिनांक

13/02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बटल सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्राप्पत्र u/s 212 R.T. Act दि. 19/02/26 को पेश हो।


13/02/26

19/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बटल प्राप्पत्र u/s 212 R.T. Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राप्पत्र को तीन बिन्दुओं पर ध्यान आवश्यक है। इलाम प्रमावती संन 202477 के अवलोकन से स्पष्ट है कि



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नं. अ. अ. हु. म. म.

ग्राम खलीपुर्णा की आरपी ख. नं. 58/84 वरुणा
1-0117 haet. प्राची के खते दर्ज है पब्लिक लगेवा
ख. नं. 565/84 अप्राची 1 से 3 के खते दर्ज है।
2. आम्र प्राची का कथन है कि अप्राचीण अवस्था
प्राची की ग्राम ख. नं. 581/84 पर कथना करने पर
आमादा है पब्लिक आम्र अप्राचीण का कथन है कि
अप्राचीण की ख. नं. 565/84 सन् 1978 में आवरण
हुई थी और तब से ही कालेकाशन से चले आ
रहे हैं। अप्राचीण ने बरमे लगाकर तार बोलिंग
कर रखी है पब्लिक प्राची ने कुछ वर्ष पूर्व
यह ग्राम इस की है और कोई भौतिक कथना
प्राप्त नहीं किया था। विक्रेता का भी कभी कोई
कथना नहीं रहा। ग्राम पड़त पडी हुई है।
अप्राचीण ने कोई कथना नहीं किया है।

3. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्राची
द्वारा ना ले कोई सीमाज्ञान / मौका रिपोर्ट पेश
की है और ना ही अप्राचीण द्वारा किमत 3-4 बरों
से पब्लिक कथना करने का कोई साक्ष्य (documentary
or oral) पेश किया गया है। अतः साक्ष्य के
अभाव में पब्लिक कथना करना लाजिब नहीं है।


4. उपरोक्त विषय एवं विशेषण के आचार पर
प्राची का प्रश्न का भौतिक रूप से स्वीकार किया
जाता है। दोनी पत्नी को मर्यादासामुलक अत्यधिक
निर्वेद्याता से पाबंड किया जाता है कि वास्तव
दोनी स्वसरी के माँ की वर्तमान स्थिति
को बनाये रखे (status quo)। अप्राची 9 को
पाबंड किया जाता है कि वास्तव रीति से सीमाज्ञान
करना सुनिश्चित करे। पत्रावली में सल सुमाए होकर



4

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
---------------	--------------------------------------	---

नम्बर 1 - कम होकर मूलदा 15 लाख लक्ष


19/07/25



उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला अहमदाबाद (सज-1)